

~~Bank Comproment~~  
~~Disposal~~

①

Onhi 7

## IN THE COURT OF THE CERTIFICATE OFFICER AT GHATSILA.

Certificate Case No -. 359./BL/AN/22-23 .....


""Schedule XL III High Court N. (J) (Old) (M) (964)

## FORM OF ORDER SHEET

BANK OF INDIA,  
GOHALDANGRA

-Verses-

MR. NAROTTAM DAS,  
S/O BANBIHARI DAS,  
AT- HARANIA, CHAKULIA,  
P.O.- MURAL,  
P.S.- SHYAMSUNDARPUR,  
DIST -EAST SINGHBHUM  
JHARKHAND

SL. No & Date of Orders	Order with the signature of the Court	Note of action taken on order with date
28/10/22	<p>Seen the requisition filed by Branch Manager B.O.I. Gohaldangra branch. for recovering of <b>Rs. 1,20,570.00</b> (One Lakh Twenty Thousand Five Hundred Seventy)only...from <b>Mr. Narottam Das</b> Son/Daughter/wife of <b>Banbihari Das</b>, At-Harania, Chakulia, P.O.- Mural, P.S.-Shyamsundarpur, Dist.- East Singhbhum, State-Jharkhand on account of Bank Loan/Road Tax/Additional Tax/ Scheme Under P.D.R. Act.</p> <p>Also seen the verification report appended on the requisition have satisfied myself that demand is recoverable and the recovery of suit is no barred by law-accordingly the certificate is signed.</p> <p>Advoleran Cost of Rs. – 4,920.00 .... have been filed. Enter in register X and issue notice U/s. 7 of the P.D.R. Act Put up record on . 29/11/2022 ....</p> <p style="text-align: right;">Dictated</p> <p style="text-align: right;">             Certificate Officer,            Ghatsila.         </p>	

11/2022

12/2022

अभिलेख आज उपस्थापित किया गया है। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन संबंधित था से प्राप्त है। हेनदार अनुपस्थित है। हेनदार के द्वारा नोटिस प्राप्त करने के बावजूद न्यायालय में अवतक कोई राशि जमा नहीं किया गया है। नकाया राशि बसुला आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः नकाया राशि बसुला हेतु हेनदार के नाम से चैतावनी नोटिस निर्गत करें। नोटिस तामिला हेतु थाना कुमार श्यामसुन्दरपुर को भेजें।

अभिलेख दिनांक 16/01/2022 को करें।

लेखापति

अनु० पदा० - सह -  
नीलाम वर पदा०  
द्यालशिला

16/01/2022

13/03/23

अभिलेख आज उपस्थापित किया गया है। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। हेनदार अनुपस्थित है। बैंक ऑफ इंडिया गौहालंडंगरा शाखा के वर दिनांक - 10/12/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि केस नं० - 359/BLEK/22-23 के हेनदार Mr. Narottam Das का कोई नकाया राशि लम्बित नहीं है तथा बैंक द्वारा अवशेष कोर्ट की की इस न्यायालय में जमा कर दिया गया है। इस वाद को समाप्त करने हेतु अनुवेद्य किया गया है। परन्तु हेनदार के द्वारा कोई आवेदन इस न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया है।

अतः बैंक ऑफ इंडिया गौहालंडंगरा शाखा के प्रतिवेदन के आधार पर वाद को अग्रतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापति

अनु० पदा० - सह -  
नीलाम वर पदा०  
द्यालशिला